भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

दस रुपये TEN RUPEES

(५५)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र. क्र. /2009 पुनरीक्षण — 1034-II/09

श्रीमती बेगम बी पुत्री नजर मोहम्मद
निवासी इमलीपुरा खण्डवा, तहसील एवं
जिला खण्डवा -------- आवेदक

विरुद्ध

1. श्रीमती खैरुन्निसा बी पत्नी स्व. मोहम्मद अफजल
2. मोहम्मद असलम
3. मोहम्मद अयाज
4. मोहम्मद अकरम

} पुत्रगण स्व. मोहम्मद अफजल, निवासीगण हताई इमामबाड़े के पास, इमलीपुरा, खण्डवा

5. श्रीमती अमरीन बानो पत्नी इब्राहीम खान
निवासी गुलशन नगर, खण्डवा

6. खुर्शीद मोहम्मद पुत्र रशीद मोहम्मद
निवासी ग्राम मालूद तहसील हरसूद जिला
खण्डवा हाल मुकाम थानपुरा (भामगढ)
तहसील एवं जिला खण्डवा -- अनावेदकगण

विलोपित

श्री एस० के० बाजपेयी एडवोकेट
द्वारा आज दि० 1-8-09 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

9-8-2009

अपर कलेक्टर, खण्डवा द्वारा प्र. क्र. 12-अ-27/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 26-5-2009 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म. प्र. भू राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करती है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1034-दो/09 जिला खण्डवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-3-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । समझौते का कथन उभय पक्ष की ओर से इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । यह निगरानी अपर कलेक्टर के प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः उभय पक्ष अपर कलेक्टर के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष/समझौता आदि रखने के लिए स्वतंत्र हैं, जहां विचारण न्यायालय द्वारा उनका नियमानुसार निराकरण किया जा सकेगा । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं होने से समाप्त की जाती है । रीडर अध्यक्ष	